फर्द अहकाम

प्र उपखण्ड अधिकारी चाकसू

जसवीर बनाम संतोष

संख्या /वर्ष : 174 /2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
23/7/24	पत्रावली आज दावे की पत्रावली के साथ तलब की गयी वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी के कहे जाने व दावा विड्रो होने से प्रा. पत्र 212 RTA का विड्रो (खारिज) किया जाता है। प्रा. पत्र 212 RTA का खारिज होने से न्यायालय का स्वगत आदेश दिनांक 27/6/23 का प्रभावहीन हो गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)